

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या.- 5622/2026**

विमल कुमार एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:- अरुण प्रताप वर्मा, अमृतांश मोहन

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 2**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया****माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव**

1. प्रस्तुत याचिका में उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी करते हुए विरोधी पक्षकार संख्या 4 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.05.2026, जो वाद अपराध (प्रथम सूचना रिपोर्ट) संख्या 197/2026, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 110, 333, 115(2), 352, 351(3), 118(1), 324(4) एवं 191(2) के अन्तर्गत थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा में पंजीकृत है, को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. हमने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु का अवलोकन किया है। याचिकाकर्तागण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में निहित प्रावधानों के लाभ के हकदार हैं, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क के अनुरूप हैं।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि कथित रूप से कारित अपराध/अपराधों में अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास का दण्ड निर्धारित है एवं पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35, जिसमें धारा 35(3) से धारा 35(6) तक के प्रावधान भी सम्मिलित हैं, के अधीन निर्धारित रीति, पद्धति एवं प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। ऐसी परिस्थितियों में, विवेचना अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

4. यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क में निहित इसी प्रकार के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय ने **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 SCC 273** के मामले में निम्नवत् मत व्यक्त किया है।

5. हमने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया है। **अर्नेश कुमार के मामले (उपरोक्त)** में निम्नवत् (प्रासंगिक अंश) अभिनिर्धारित किया गया है:-

“9. एक अन्य प्रावधान अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क, जिसका उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी अथवा अभियुक्त पर मंडरा रहे गिरफ्तारी के भय को रोकना है, को प्रभावी रूप से क्रियान्वित बनाए जाने की आवश्यकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 5/2009) की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित धारा 41-क, जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है, निम्नवत् है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“41-क. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की सूचना-

(1) जहाँ किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 की उपधारा

(1) के उपबंधों के अधीन आवश्यक नहीं है, वहाँ प्रत्येक मामले में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त शिकायत की गई है, या जिसके संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, या जिस पर यह युक्तियुक्त संदेह है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध कारित किया है, अपने समक्ष अथवा सूचना में विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा।

(2) जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है, वहाँ उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त सूचना की शर्तों का अनुपालन करे।

(3) जहाँ ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और निरंतर उसका अनुपालन करता रहता है, वहाँ उसे सूचना में उल्लिखित अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) जहाँ ऐसा व्यक्ति किसी समय सूचना की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है अथवा अपनी पहचान बताने के लिए इच्छुक नहीं है, वहाँ पुलिस अधिकारी, इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के अधीन रहते हुए, उसे सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।

“उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे सभी मामलों में, जहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, पुलिस अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को एक निश्चित स्थान और समय पर अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सूचना जारी करे। विधि ऐसे अभियुक्त के लिए पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य करती है तथा यह भी अधिदेशित करती है कि यदि ऐसा अभियुक्त सूचना की शर्तों का अनुपालन करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में परिकल्पित गिरफ्तारी की पूर्ववर्ती अनिवार्य शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है और ऐसी गिरफ्तारी भी मजिस्ट्रेट द्वारा उसी प्रकार की न्यायिक जाँच के अधीन होगी, जैसा कि उपर्युक्त वर्णित है।”

6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन को भी ध्यान में रखते हुए कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किए गए उपर्युक्त रुख के दृष्टिगत याचिका का निस्तारण किया जा सकता है, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के मामले (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय में की गई टिप्पणी, जिसका प्रासंगिक अंश ऊपर उद्धृत किया गया है, को दृष्टिगत रखते हुए, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि पुलिस प्राधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के उपबंधों के अनुसार मामले में कड़ाई से कार्यवाही करेंगे। उक्त धारा में गिरफ्तारी की रीति, ढंग एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क में निहित उपबंधों के अनुरूप है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के मामले (उपरोक्त) में स्पष्ट किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

जून 15, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अरविंद

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।